राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-MAIL 1. ayurvedajm@yahoo.co.in
2. addlayurvedajm@yahoo.co.in
3. esttayurved2014@gmail.com

टेलीफोन नम्बर : 0145-2425047
0145-2425835
0145-2425993

क्रमांक प01 / प्रति–1 / चिकि. / स्थाना. / 2018 / दिनांक

समस्त अधिनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
आयुर्वेद विभाग, राजस्थान

विषयः– दिनांक 05.10.18 को जारी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी एवं परिचारकों के स्थानान्तरण आदेशों की पालना के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 05.10.18 को राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी एवं निदेशालय द्वारा परिचारकों के स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी किये गये है विधानसभा आम चुनाव 2018 हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य में दिनांक 06.10.18 से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है आचार संहिता लागू किये जाने से जारी स्थानान्तरण आदेशों के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. उक्त आदेशों की पालना में जो कार्मिक अब तक कार्यमुक्त नहीं हुये है अब कोई कार्मिक कार्यमुक्त नहीं होंगे।
2. जो कार्मिक दिनांक 06.10.18 को कार्यमुक्त हो गये है किन्तु उनके द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है वे कार्मिक अब नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर संबंधित उप निदेशक कार्यालय मे उपस्थिति देगे।
3. संबंधित उप निदेशको को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार पृथक–पृथक सूचना निदेशालय को दिनांक 08.10.2018 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे :–
   - जिन कार्मिको द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया है।
   - जो कार्मिक कार्यमुक्त हो गये किन्तु कार्यग्रहण नही किया गया है।
   - जो कार्मिक कार्यमुक्त ही नही हुए है।

(स्नेहलता पंवार)
निदेशक

क्रमांक प01 / प्रति–1 / चिकि. / स्थाना. / 2018 / 15210 दिनांक 07.10.2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान–जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर।
4. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को देकर लेख है कि सम्बन्धित कार्यालयों को जरिये ई–मेल भिजवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(आनन्द कुमार शर्मा)
अति.निदेशक

D:\DINESH 22-09-2017\LETTER\LETTER-2016.doc